



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 पौष 1942 (श०)
(सं० पटना 34) पटना, मंगलवार, 12 जनवरी 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

12 जनवरी 2021

एस० ओ० 73, दिनांक 12 जनवरी 2021—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, बिहार माल और सेवा कर नियमावली 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) नियमावली, 2021 है ।

(2) ये नियम 01 जनवरी, 2021 की तारीख से प्रवृत्त हुये माने जायेंगे।

2 बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इस अधिसूचना इसके पश्चात उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 59 में उपनियम (5) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम को अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(6) इस नियमावली में किसी भी बात के होते हुए भी,-

(क) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने पिछले दो महीने के लिए प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करी है तो उसे धारा 37 के

अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।

(ख) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसे धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन हर तिमाही का रिटर्न भरना जरूरी हो, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसपर नियम 86ख के अधीन यह प्रतिबंध हो कि 99% से अधिक देय कर का भुगतान करने के लिए वह अपने इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं कर सकता है, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-9) 81)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

12 जनवरी 2021

एस० ओ० 73, दिनांक 12 जनवरी 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-9) 81)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 12th January 2021

S.O. 73, Dated 12th January 2021— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. Short title and commencement.—

- (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2021.
- (2) These rules shall be deemed to have come into force with effect from 1st day of January, 2021.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), in rule 59, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted namely:-

“(6) Notwithstanding anything contained in this rule, -

- (a) a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1**, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding two months;
- (b) a registered person, required to furnish return for every quarter under the proviso to sub-section (1) of section 39, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding tax period;
- (c) a registered person, who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards tax in excess of ninety-nine per cent. of such tax liability under rule 86B, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding tax period.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-9) 81]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 34-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>